



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 श्रावण 1948 (श0)
(सं0 पटना 968) पटना, मंगलवार, 11 अगस्त 2026

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

अधिसूचना
10 अगस्त 2026

एस० ओ० 177 दिनांक 11 अगस्त 2026— उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 (2020 का 37) की धारा-34 की उपधारा 5 एवं उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा (बिहार) नियमावली, 2026 के नियम 32(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल संहिता के अंतर्गत निम्न दी गयी सारणी के स्तम्भ 2 में उल्लेखित पदाधिकारियों को उनके सामने स्तम्भ 3 विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में स्थित उन प्रतिष्ठानों के संबंध में, जिनके लिए राज्य सरकार समुचित सरकार है, के लिए मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक नियुक्त करते हैं।

सारणी

क्रम संख्या	पदाधिकारी	क्षेत्राधिकार
1	2	3
1	अपर श्रमायुक्त, बिहार	(संहिता के अध्याय XI के भाग VII को छोड़कर अन्य सभी स्थापनाओं के लिए)
2	मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार	(संहिता के अध्याय XI के भाग VII के लिए)

2. स्तंभ 2 अंकित पदाधिकारियों की योग्यताएं उन पर लागू होने वाले संबंधित सेवा नियमावलियों के अनुसार तय होंगी, और ऐसे अधिकारियों को संहिता की धारा 34 की उप-धारा (5) के प्रयोजनार्थ आवश्यक योग्यताएं धारित करने वाला माना जाएगा।

3. उपरोक्त सारणी के स्तंभ 2 में अंकित पदाधिकारियों के मामले में मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक की शक्तियाँ श्रमायुक्त, बिहार में निहित होंगी।

4. यह अधिसूचना बिहार राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

(सं० 01/OSHC-03/2026-178/श्र०सं०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उपेन्द्र प्रसाद,
सरकार के विशेष सचिव।

10 अगस्त 2026

एस० ओ० 178, एस० ओ० 177 दिनांक 11 अगस्त 2026 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के (खण्ड) 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(सं० 01/OSHC-03/2026-179/अ०सं०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उपेन्द्र प्रसाद,

सरकार के विशेष सचिव।

The 10th August 2026

S. O. 177 dated 11th August 2026— In exercise of the powers conferred by Sub Section 5 of Section 34 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (37 of 2020) and Rule 32(1) of the Occupational Safety, Health and Working Conditions (Bihar), Rules, 2026, the Governor of Bihar is pleased to appoint the officers mentioned in Column 2 of the table below as Chief Inspector-cum- Facilitator for establishments, in respect of those establishments situated in the areas specified in Column 3 against them for which the State Government is the appropriate government.

Schedule

Sr. No.	Officer	Jurisdiction
1	2	3
1	Additional Labour Commissioner, Bihar	(For all establishments except Part VII of Chapter XI of the Code)
2	Chief Inspector of Factories, Bihar	(For Part VII of Chapter XI of the Code)

2. The qualifications of the officers mentioned in Column (2) shall be governed by the relevant service rules applicable to them, and such officers shall be deemed to possess the qualifications required under sub-section (5) of Section 34 of the Code.

3. In the case of the officers listed in Column 2 of the above table, the powers of the Chief Inspector-cum-Facilitator shall vest in the Labour Commissioner, Bihar.

4. This notification will come into force from the date of its publication in the Bihar Gazette.

(File No. 01/OSHC-03/2026-178/L.R.)

By The order of the Governor of Bihar,

UPENDRA PRASAD,

Special Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 968-571+200-डी०टी०पी०।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>